189

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 2(1)( )मबावि/आ.क.को/05/101997 जयपुर, दिनांक 13/11/06

परिपत्र :

राज्य के वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं/सहयोगिनी/साथिनों के हितार्थ कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा की कियान्विति में विभागीय नियंत्रण एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से आंगनवाडी कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इस कोष के अंतर्गत संचालित योजना को सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (जी.एस.एल.आई.) नाम दिया गया है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जावेगी। इस योजनान्तर्गत कोष से जुडने वाली मानदेय प्राप्त महिलाओं को जीवन बीमा सुविधा के साथ न्यूनतम राशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध हो सकेगी।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक महिला से अर्द्ध वार्षिक सदस्यता अंशदान लिया जावेगा। महिला से एकत्रित अंशदान के सापेक्ष 1/4 (25 प्रतिशत) राशि राज्य अंशदान के रूप में देय होगी। अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	श्रेणी	अर्द्ध वार्षिक राजकीय योगदान	अर्द्ध वार्षिक सदस्य का योगदान	जीवन बीमा राशि
1	आंगनवाडी कार्यकर्ता	75	300	10,000
2	सहयोगिनी, सहायिका, साथिन	38	150	10,000

- इस योजना की अन्य मुख्य शर्तें निम्नानुसार है:–

1. राज्य में विभाग के अधीन मानदेय पर कार्यरत 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएं ही सम्मिलित हो सकेंगी।
2. वर्तमान में कार्यरत मानदेय आधारित कर्मी जो वर्तमान में योजना में सम्मिलित होने योग्य है, वे इसके सदस्य होगें एवं भविष्य में इन श्रेणियों में सम्मिलित होने वाले कार्मिक जैसे ही इस श्रेणी के योग्य होंगे वे भी इसके सदस्य होगें। नवीन सदस्य को आगामी अंशदान वाले माह में सम्मिलित किया जा सकेगा।
3. ऐसे योग्य सदस्य जो योग्यता की शर्तों को पूर्ण करते है, इस योजना में सम्मिलित होने के उपरांत सदस्यता त्याग नहीं कर सकेगें।
4. योजना में सम्मिलित होने पर प्रथम बार 20रूपये अतिरिक्त राशि अंशदान के साथ जमा करवायी जावेगी। यह राशि सदस्यता समाप्ति/वापसी कें अवसर पर बिना ब्याज देय होगी।
5. सदस्य की मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को बीमा धन की राशि 10,000 रूपये एवं बचत राशि मय ब्याज देय होगी।
6. योजना में शामिल सदस्य महिला के मानेदय सेवाओं से विमुक्ति पर जमा राशि मय ब्याज देय होगी।
7. योजना में सम्मिलित होने वाली महिला को सदस्यता प्रपत्र एवं अधिकार पत्र भरकर देना अनिवार्य होगा।
8. बीमित व्यक्ति के दावे का निस्तारण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की अनुशंसा पर किया जावेगा।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है

1. अर्द्ध वार्षिक अंशदान की राशि का भुगतान प्रति वर्ष नवम्बर एवं मई माह के [illegible] से भारतीय जीवन बीमा निगम को ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से किया जाएगा।
2. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के कमीशन का भुगतान एल.आई.सी. को देय राशि [illegible] समायोजित किया जावे।

ToPrint\Yadav\AWBS.doc

3. योजना के ड्राफ्ट/चैक के साथ मानदेय आधारित कर्मियों की सूची सलग्न क जाएगी, जिनका अंशदान भिजवाया जाएगा। इस सूची में सदस्यों का अंशदान व राज अंशदान पृथक–पृथक दर्शाया जावेगा। साथ में कार्यकर्ता की श्रेणी, जन्म तिथी ए कार्य प्रारंभ करने की तिथी का विवरण प्रवेश के समय भेजना आवश्यक है।
4. सदस्यों की अंशदान राशि के साथ ही राज्य अंशदान की राशि भी कोष कार्यालय क माध्यम से आहरित कर जीवन बीमा निगम को भिजवायी जावे। इसके लिए पृथक बि तैयार कर, कोष कार्यालय को एक साथ प्रस्तुत किए जावें।
5. विस्तृत दिशा निर्देशों के लिए पुस्तिका पृथक से भिजवायी जा रही है।
6. सदस्यो से प्राप्त सदस्यता प्रपत्र में उल्लेखित तथ्यों की कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड स जांच/सत्यापन किया जावे। इसके उपरांत ही सदस्यता प्रपत्र स्वीकार्य होगा ए संबंधित नोडल अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा।

योजना के कियान्वयन के लिए पंचायत समिति स्तर पर बाल विकास परियोजन अधिकारी एवं जिला स्तर पर उपनिदेशक (बाल विकास) एवं पदेन परियोजना निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल अधिकारी मनोनित किये जाते है। राज्य अंशदान क लिए बजट का आवंटन पृथक से भिजवाया जा रहा है।

विभाग के अधीन दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 तक मानदेय सेवाओं पर कार्यर कार्मिकों यथा आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी एवं साथिन के अंशदान क राशि मय राज्य अंशदान के आहरित कर 20 दिसम्बर, 2006 तक आवश्यक रूप से जीव बीमा निगम को भिजवाते हुए निदेशालय को सूचित करें।

निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक एफ 2(1)( )मवाति/आ.क.को/05/100998-101008 जयपुर, दिनांक 13.11.0
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. संयुक्त सचिव (बाल विकास), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, मबावि, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय--2)/आयोजना विभाग (ग्रुप--4), सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, पी.एण्ड जी.एस., भारतीय जीवन बीमा निगम, भवानी सिंह रोड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा निर्देशों की पुष्टि करावें।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक (बाल विकास) एव पदेन परियोजना निदेशक, जिमविअ, मबावि (समस्त)
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय (समस्त)
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
12. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मबावि (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक (शिशु)
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर ।